उप्र में गन्ना बकाया 4,250 करोड़ रुपये के पार पहुंचा

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 3 अप्रैल

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने निजी चीनी मिलों को किसानों का गन्ना बकाया चुकाने का सख्त निर्देश दिया है। चालू पेराई सत्र 2016-17 के लिए यह बकाया बढ़कर 4,269 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले पेराई सत्र 2015-16 के लिए मिलों पर 184 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बकाया था।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, गन्ना आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भुगतान स्थिति की समीक्षा करते हुए 23 मार्च को राज्य की चीनी मिलों को एक महीने के अंदर बकाया निपटाने को कहा था और इसमें विफल रहने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। उत्तर प्रदेश के लिए 2017 के अपने चुनावी घोषणापत्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने वादा किया था कि वह गन्ना किसानों को गन्ने की बिक्री के 14 दिन के अंदर भुगतान दिलाने की कोशिश करेगी। 23 मार्च को मिलों पर लगभग 4,160 करोड़ रुपये का बकाया था जो ताजा आंकड़ों के अनुसार अब बढ़कर 4,260 करोड़ रुपये हो गया है।

मौजूदा पेराई सत्र अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक बरकरार रहने की संभावना है। परिचालन करने वाले 116 मिलों में से 38 मिलें अपना पेराई कार्य पूरा कर चुकी हैं।

राज्य सरकार अवैध बूचड़खानों को बंद कराने, एंटी-रोमियो दल बनाने और सरकारी खजाने के व्यय की जांच जैसे मामलों के प्रति गंभीरता दिखा रही योगी सरकार द्वारा मिलों के भुगतान में विफल रहने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की संभावना है। इस मामले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बजाज हिंदुस्तान के स्वामित्व वाली एक चीनी मिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। यह मामला एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट की धारा 3/7 के तहत दर्ज किया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि किसानों के बकाया का इस्तेमाल संयंत्र के परिचालन और अन्य मेंटेनेंस खर्च को पूरा करने के लिए किया गया। मुजफ्फरनगर जिले के गन्ना आयुक्त ने दावा किया कि बजाज की मिल ने किसानों का बकाया चुकाने के लिए निर्धारित लगभग 8 करोड़ रुपये का इस्तेमाल चीनी मिल की अन्य जरूरतों और रखरखाव लागत पर किया।

एक महीने की रियायत समाप्त होने के बाद एक बड़ी मिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज

चालू पेराई सत्र में कुल गन्ना बकाया 23,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया और पेराई सत्र के अंत तक इसके बढ़कर 26,000 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है जबकि पिछले 2015-16 के सत्र के लिए यह 18,000 करोड़ रुपये पर था।

Business Standard
4-5-17.